अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव।

अर्द्धशा0पत्रसंख्या- 1231 /43-2-2008
उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2
लखनऊ: दिनांक 01 दिसम्बर, 2008.

प्रिय महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभागों में प्रत्येक माह में लम्बित/निस्तारित आवेदन पत्रों की स्थिति की सूचना निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह की 3 तारीख तक प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के अर्धशासकीय पत्र संख्या -914 /43-2-2008-15/2 (7)/07-टीसी 2008 दिनांक 31 जुलाई, 2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध मे मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के उपर्युक्त पत्र दिनांक 31 जुलाई, 2008 द्वारा यह निर्देश दिए गए थे कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक माह में लम्बित आवेदन पत्रों तथा निस्तारित आवेदन पत्रों की स्थिति की समीक्षा अपने स्तर पर करते हुए संलग्न प्रारूप में संकलित सूचना प्रत्येक माह की तीन तारीख तक प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराई जाये।

3- उक्त पत्र के क्रम में माह अक्टूबर, 2008 तक प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा करने के उपरान्त यह पाया गया है कि प्रशासनिक सुधार विभाग को छोड़कर अन्य किसी भी विभाग द्वारा नियमित रूप से सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक व खेदजनक है।

4- अतः आपसे अनुरोध है। कि कृपया अपने विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त, लम्बित एवं निस्तारित आवेदन पत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रत्येक माह की 10 तारीख तक संकलित सूचना संलग्न निर्धारित प्रारूप में प्रशासनिक सुधार विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव (नाम से)
उत्तर प्रदेश शासन।

Search easily on www.bharatiyashasanadesh.org